कृपया प्रकाशनार्थ **31 दिसंबर 2008**

निजी वन विभाग में रहनेवालों को अभय मिलें- सर्वोच्च न्यायालय की समिती से भाजपा की माँग

मुंबई, बुधवार: "निजी वन क्षेत्र कहलानेवाले क्षेत्र में बसे जुग्गी-झोपडीवासियों को तथा वहाँ रहनेवाले फ्लैट-मालिकों को सुरक्षा मिले," ऐसी माँग भाजपा नेता और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक व पूर्व सांसद डा. किरीट सोमैय्या ने कल सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा नियुक्त केंद्रिय उच्चाधिकार समिती से की. कल इस समिती के अध्यक्ष श्री. पी.व्ही.जयकृष्णन तथा सदस्यद्वय श्री. महादेव व्यास व श्री. एस.के.चढढा मुंबई आए थे. आरे कालनी के न्युझिलैंड होस्टेल में उन्होंने निजी वन क्षेत्र से बाधित व्यक्तिओं की सुनवाई की तब यह अपील की गयी.

इस विषय की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,"मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार के निजी वन जमीन के संदर्भ में एक याचिका के संदर्भ में हुए निर्णय से मुंबई तथा ठाणे परिसर में रहनेवाले लाखों लोगों की झोपडीयाँ तथा फ्लैट अवैध घोषित हुए है. इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी तथा कई विकासक, जमीन मालक, कारखानदार, आदीओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की है. इसकी सुनवाई को समय परिस्थिती का मुआयना लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्चाधिकार समिती नियुक्त की है. 30 दिसंबर को इस समिती ने मुंबई - ठाणे में कई जगह भेंट दी तथा न्युझिलैंड होस्टेल में सुनवाई भी की. कथित वन विभाग में बडी इमारते तों हैं लेकिन कई झोपडपट्टीयां भी है. इन सबको महाराष्ट्र सरकार ने गलिच्छ वस्ती (स्लम) घोषित कर कानूनी मान्यता दी है. इतनाही नहीं तो महापालिका तथा राज्य व केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओंद्वारा उन्हें पीने का पानी, शौचालय, ड्रेनेज, रास्ते, बिजली, स्कूल आदी सुविधाएं भी दी गयी है. जब इन बस्तियों को स्लम घोषित करने का अधिकार मात्र राज्य सरकार को है तब अब उन्हे अवैध मान कर हटाना इन्साफ नही है ऐसी भावना भाजपा की ओर से समिती के सामने रखी गयी. तब इस पर गौर करना पडेगा, उसके लिए पुरी जानकारी सात दिन में भेजीए ऐसा समिती ने बताया."

भाजपा नेता व पूर्व सांसद डा. किरीट सोमय्या ने इस समय कहा कि निवास स्थानों के साथ महापालिका का बाजार, राज्य कामगार रुग्णालय तथा केंद्र सरकार का अणु ऊर्जा विभाग की इमारतें आदी दमकल, पाठशालाएं, आदी भी इस कथित वन क्षेत्र पर ही है. 50 वर्षों से अधिक समय चल रहे कई कारखाने भी यहीं है. इन सबका एक साथ विचार कर उन्हे सुरक्षा देने की शिफारिश समिती ने सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहीए ऐसी माँग भी हमने की.

कई बिल्डर-विकासक, सहकारी तथा गृह संस्थाएं तथा कारखानदारों ने भी अपनी बात समिती के सामने रखी. इस समय सभी का सम्मापन करते वक्त समिती के अध्यक्ष श्री. पी.व्ही जयकृष्णन ने कहा कि समिती सभी सूचनाओं पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रपट सर्वोच्च न्यायालय को देगी. अगर और भी कोई चाहता है तो अपनी बात समिती सचिव, सेंट्रल एम्पॉवरमेंट कमिटी, चाणक्य भवन, दुसरी मंजिल, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली 110 001 इस पते पर भेज सकते है.

(कार्यालय मंत्री)